न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी–

रामरतन सौंकरिया

आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
26 / 2021 प्रा.पत्र / 2021	05.04.2021	18.03.2025

डॉ0 मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक।

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री प्रभूदयाल विजय पुत्र श्री बजरंग लाल विजय एफ.बी.ओ. मैसर्स रवि कुमार एण्ड कम्पनी सुभाष बाजार मालपुरा जिला टोंक निवासी वार्ड नं0 9 सुभाष बाजार मालपुरा जिला टोंक(राज0) पिनकोड–304502

........अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अप्रार्थी श्री प्रभुदयाल विजय एवं उनके अभिभाषक श्री जितेन्द्र जैन उप.।

:–**निर्णय**–: दिनांक 18/3/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.12.2020 को समय 01:51 पी.एम. पर मैसर्स रवि कुमार एण्ड कम्पनी सुभाष बाजार मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री प्रभूदयाल विजय पुत्र श्री बजरंग लाल विजय अपने प्रतिष्ठान मैसर्स रवि कुमार एण्ड कम्पनी सुभाष बाजार मालपुरा जिला टोंक पर खाद्य प्रदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री प्रभूदयाल विजय पुत्र श्री बजरंग लाल विजय को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री प्रभूदयाल विजय पुत्र श्री बजरंग लाल विजय ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री प्रभूदयाल विजय की उपस्थिति में निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में तेल, गुड़, शक्कर मसाले, कन्फैक्शनरी खाद्य पदार्थ अलग–अलग ब्राण्ड आदि अन्य खाद्य पदार्थ के साथ–साथ दुकान में लोहे के 3 टिन में **मूंगफली तेल डबल फिल्टर वीर हनुमान ब्राण्ड टिन पैक (Groundnut Oil Double Filter Veer Hanuman Brand Tin Pack)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री प्रभूदयाल विजय पुत्र श्री बजरंग लाल विजय को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री प्रभूदयाल विजय पुत्र श्री बजरंग लाल विजय व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

कर विक्रेता को बताकर कि यह **मूंगफली तेल डबल फिल्टर वीर हनुमान ब्राण्ड टिन पैक (Groundnut Oil Double Filter Veer Hanuman Brand Tin Pack)** वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, दुकान में लोहे के 3 टिन पैक **मूंगफली तेल डबल फिल्टर वीर हनुमान ब्राण्ड टिन पैक (Groundnut Oil Double Filter Veer Hanuman Brand Tin Pack)** में से 1600 ग्राम नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **मूंगफली तेल डबल फिल्टर वीर हनुमान ब्राण्ड टिन पैक (Groundnut Oil Double Filter Veer Hanuman Brand Tin Pack)** 1600 ग्राम को 400–400 ग्राम को बराबर–बराबर चार साफ व सूखी प्लास्टिक की शिशियों में अलग–अलग भरकर, शिशियों के ढक्कन को अच्छी तरह एयरटाईट बन्द कर नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2745 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2745 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री प्रभूदयाल विजय पुत्र श्री बजरंग लाल विजय मैसर्स रवि कुमार एण्ड कम्पनी सुभाष बाजार मालपुरा जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी कोई खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2021/171 दिनांक 18.01.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं.एल.एस/2543/एक्ट/2021/78 दिनांक 07.01.2021 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **मूंगफली तेल डबल फिल्टर वीर हनुमान ब्राण्ड टिन पैक (Groundnut Oil Double Filter Veer Hanuman Brand Tin Pack)** एफ.एस.एस.ए.की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के उल्लघंन के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** व **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी प्रभूदयाल विजय एवं उनके अभिभाषक श्री जितेन्द्र जैन उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। उक्त खाद्य पदार्थ के

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारियां मानक प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **मूंगफली तेल डबल फिल्टर वीर हनुमान ब्राण्ड टिन पैक** (**Groundnut Oil Double Filter Veer Hanuman Brand Tin Pack**) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** व **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 व 52 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मूंगफली तेल डबल फिल्टर वीर हनुमान ब्राण्ड टिन पैक** (**Groundnut Oil Double Filter Veer Hanuman Brand Tin Pack**) का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** व **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 10,000/— (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/3/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0